124

1/165/2018

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0सं0–14–8
कमांक–165/2018
आरबीई सं0–135/2018
अग्रिम शुद्धि पर्ची सं0–79
सं0 ई/204/12/भाग–IV/चार

दिनांक/2–10–2018

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषयः–01.01.2006 या इसके बाद सेवानिवृत्त ग्रुप'घ' कर्मचारियों को 2 सेट सेवोत्तर मानार्थ पास (पीआरसीपी) जारी करने के सम्बन्ध में।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई(डब्ल्यू)2016/पीएस/5–2/9 दिनांक 24.09.2018 की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(आर0 के0 [illegible])
सकार्धि/मुख्या0–।।
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर – 40 प्रतियों में।
2– महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
3– महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
4– पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर – 01 प्रति में।
5– महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0–02 प्रतियों में।
6– मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु – 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

RBE No.135/2018

ADVANCE CORRECTION SLIP No.79

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

No.E(W)2016/PS5-2/9 **New Delhi, dated 24.09.2018**

The General Managers (P)
All Zonal Railways &
Production Units.

Sub: Issue of 2 sets of Post Retirement Complimentary Passes (PRCP) to Group 'D' employees retired on or after 01.01.2006.

The demand for issuance of 2 sets of PRCPs to the staff retired as Group 'D' before their reclassification as Group 'C' was raised by staff side in the DC/JCM Meeting (Item No.18/2012) and also by AIRF in PNM Meeting (Item No.38/2016) with Board.

2. The issue has been examined in detail and in order to bring uniformity in cases of all those employees who retired on or after 01.01.2006 i.e. whether classified as Group 'C' or retired as Group 'D', it has been decided with the approval of the Competent Authority to amend the relevant provisions of extant Pass Rules. Accordingly, PRCP entitlement stipulated under Columns 1 and 2 of Schedule-IV (Post Retirement Complimentary Passes) of the Railway Servants (Pass) Rules, 1986 (Second Edition - 1993) is amended as follows:-

Category	Number of passes admissible in one year
1	2
Group A & B With railway service of 20 years or more.	3 Sets
Group C & D With railway service of 20 years or more.	2 Sets

3. Accordingly, PRCPs/Widow Passes, as per revised entitlement, shall be admissible to the employees retired/deceased on or after 01.01.2006. However, higher number of PRCPs/Widow Passes, as per revised entitlement, will be issued from the current calendar year only. The number of sets of PRCP/Widow Passes in case of employees retired/deceased before 01.01.2006 shall continue to be the same as prevalent at that time.

--2--

3
165/2018

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of Ministry of Railways.

(V. Muralidharan)
Dy. Director Estt.(Welfare)-I
Railway Board

No.E(W)2016/PS5-2/9 New Delhi, dated 24.09.2018

Copy to :-

The Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi (with 40 spares).

for Financial Commissioner/Railways

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, NFIR, Room No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi (with 20 spares).
2. The General Secretary, AIRF, Room No.253, Rail Bhawan, New Delhi (with 20 spares).
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary Staff Side, National Council, 13-C, Feroze Shah Road, New Delhi (with 30 spares).
4. The Secretary General, FROA, Room No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi.
5. The Secretary General, IRPOF, Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi.
6. The Secretary, RBSS, Group "A" Officers Association, Room No.402, Rail Bhawan.
7. The Secretary, RBSS Group "B" Officers' Association.
8. The General Secretary, RBSSSA, Room No.439, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Promottee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
10. The President, Indian Railway Class II Officers Association, Rail Nilayam, Secunderabad.
11. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
12. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association.
13. The Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
14. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No.7, Rail Bhawan.
15. The General Secretary, All India O.B.C. Railway Employee's Federation (AIOBCREF), Room No.48, Rail Bhawan.

for Secretary/Railway Board

Copy forwarded to:-

(i) Director(GA), Railway Board.
(ii) Computer Cell, C&IS, Railway Board for uploading this on MoR's website for information of all concerned.
(iii) As per standard list.

आरबीई सं.: 135/2018
अग्रिम शुद्धि पर्ची सं.: 79

4
165/2018

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. ई(डब्ल्यू)2016/पीएस/5-2/9

मई दिल्ली, दिनांक 24.09.2018

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां.

विषय: 01.01.2006 या इसके बाद सेवानिवृत्त ग्रुप 'घ' कर्मचारियों को 2 सेट सेवोत्तर मानार्थ पास (पीआरसीपी) जारी करने के संबंध में।

ग्रुप 'ग' के रूप में पुनर्वर्गीकरण से पहले ग्रुप 'घ' के रूप में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 2 सेट सेवोत्तर मानार्थ पास (पीआरसीपी) जारी करने की मांग डीसी/जेसीएम की बैठक (मद सं. 18/2012) में कर्मचारी पक्ष द्वारा और बोर्ड के साथ पीएनएम बैठक (मद सं. 38/2016) में ए.आई.आर.एफ द्वारा उठाई गई थी।

2. मामले की विस्तार से जांच की गई है और ऐसे सभी कर्मचारियों, जो 01.01.2006 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं अर्थात् चाहे उन्हें ग्रुप 'ग' के रूप में वर्गीकृत किया गया हो अथवा ग्रुप 'घ' के रूप में सेवानिवृत्त हुए हों, के मामलों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह विनिश्चय किया गया है कि मौजूदा पास नियमों के संगत प्रावधानों में संशोधन किया जाए। तदनुसार, रेल सेवक (पास) नियम, 1986 (द्वितीय संस्करण, 1993) की अनुसूची-IV (सेवोत्तर मानार्थ पास) के कॉलम 1 और 2 के अंतर्गत निर्धारित पीआरसीपी हकदारी को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

श्रेणी	एक वर्ष में अनुमेय पासों की संख्या
1	2
ग्रुप क और ख जिनकी रेल सेवा 20 वर्ष या उससे अधिक है	3 सेट
ग्रुप ग और घ जिनकी रेल सेवा 20 वर्ष या उससे अधिक है	2 सेट

3 तदनुसार, पीआरसीपी/विधवा पास की संख्या संशोधित हकदारी के अनुसार 01.01.2006 या उसके बाद दिवंगत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अनुमेय होगी। बहरहाल, संशोधित हकदारी के अनुसार पीआरसीपी/विधवा पासों की संख्या चालू कैलेण्डर वर्ष से ही लागू होगी। 01.01.2006 से पूर्व दिवंगत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में पीआरसीपी/विधवा पासों की संख्या उस समय प्रचलित नियमों के अनुसार ही रहेगी।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

वी. मुरलीधरन 24
(वी. मुरलीधरन)
उप निदेशक, स्था.(कल्याण)-I
रेलवे बोर्ड